भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 900

दिनांक 26 जुलाई, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

राष्ट्रीय वयोश्री योजना

†900. श्री पी. वी. मिधुन रेड्डी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय वयोश्री योजना (आर.वी.वाई.) के अंतर्गत आवंटित/वितरित तथा उपयोग की गई राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल धनराशि कितनी है;

(ख) इस योजना से लाभान्वित होने वाले वरिष्ठ नागरिकों की कुल संख्या क्या है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली भौतिक सहायता और जीवनोपयोगी उपकरणों के प्रकारों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) आर.वी.वाई. के संबंध में कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को) में पारदर्शिता और शिकायत निवारण तंत्र संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): जैसा कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा उल्लेख किया गया है, राष्ट्रीय वयोश्री योजना (आरवीवाई) स्कीम के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निधियां आबंटित करने का कोई प्रावधान नहीं है। निधियां सीधे “कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम (एलिम्को)” को जारी की जाती हैं। एलिम्को इस योजना की एकमात्र कार्यान्वयनकर्ता एजेंसी है और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है।

(ख) दिनांक 23.07.2024 तक, कुल 3,80,788 वरिष्ठ नागरिक इस योजना से लाभान्वित हुए हैं।

(ग) इस समय, इस स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित सहायक यंत्र और एस्सिटेड लिविंग डिवाइसिस प्रदान किए जाते हैं:

(1) जेनेरिक मदें:

(1) वाकिंग स्टिक्स, (2) एल्बो क्रचिस, (3) वॉकर क्रचिस (4) ट्रायपोड/क्वाडपोड, (5) श्रवण यंत्र, (6) कृत्रिम डेन्चर, (7) चश्मे।

(ii) विशेष मदें (1) व्हीलचेयर, (2) कमोड सहित व्हील चेयर, (3) कमोड सहित कुर्सी/स्टूल, (4) सिलिकॉन फोम कुशन, (5) घुटने के ब्रेस, (6) स्पाइनल सपोर्ट, (7) सर्वाइकल कोलफर, (8) लुंबोसैक्रल बेल्ट (एलएस) (9) ब्रेक वाले वाकर/रोलेटर, (10) सीट के साथ वाकिंग स्टिक।

(घ) एलिम्को पारदर्शिता बनाए रखने के लिए आरवीवाई स्कीम के अंतर्गत मूल्यांकन और वितरण शिविरों के सभी चरणों में जिला प्रशासन को शामिल करता है। एस्सिटेड लिविंग डिवाइसिस के वितरण में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए वितरण प्रमाण-पत्रों पर जिला प्रशासन के एक अधिकारी और एलिम्को के प्रतिनिधि द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किए जाते हैं। आरवीवाई से संबंधित किसी भी पूछताछ या शिकायत के लिए एलिम्को का 24x7 टोल फ्री नंबर (1800 180 5129) और 02 बैकअप लाइनें हैं। इसके अतिरिक्त, कोई भी व्यक्ति किसी भी शिकायत या मुद्दे के मामले में एलिम्को के 12 सहायक उत्पादन केंद्रों (एपीसी)/क्षेत्रीय विपणन केंद्रों (आरएमसी) और 100 से अधिक प्रधान मंत्री दिव्यांश केंद्रों (पीएमडीके) और एलिम्को अधिकृत बिक्री और मरम्मत एजेंसी (एएएसआरए) केंद्रों में से किसी पर भी जा सकता है या कॉल कर सकता है। एलिम्को के केंद्र के स्थल का पता https://alimco.in/ALIMCO Centres वेबसाइट से लगाया जा सकता है।

*****